अध्याय 5

भीड़ प्रबन्धान

अध्याय

5 भीड़ प्रबन्धन

5.1 भीड़ हेतु व्यवस्थायें

भीड़ प्रबन्धन के अन्तर्गत महाकुम्भ मेला में आनेवाले श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों हेतु सुरक्षा के सभी तत्वों जैसे यातायात नियंत्रण; सुरक्षा; स्वास्थ्य सुविधायें; स्वच्छता एवं सफाई; खाद्य सुरक्षा; एवं अन्य सम्बन्धित सुविधायें सन्निहित थीं। महाकुम्भ मेला के दौरान देश के विभिन्न भागों एवं विदेशों से भी लोगों का आगमन सम्भावित था। भगदड़, आग, पानी में डूबने आदि से सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई आदि के लिये पर्याप्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में भीड़ प्रबन्धन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी :

5.2 मानव संसाधन प्रबन्धन एवं क्षमता वृद्धि

5.2.1 मानव–शक्ति की तैनाती

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि यातायात पुलिस, अग्निशमन सेवायें एवं जल पुलिस में मानव–शक्ति की तैनाती, कथित आवश्यकता से 10 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कम थीं ***(परिशिष्ट–5.1)***। गोताखोरों एवं महिला पुलिस के संवर्गो में कमी से स्नान तिथियों पर महिला एवं पुरूष, दोनो ही सुरक्षा से वंचित रहे।

5.2.2 क्षमता वृद्धि

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा महाकुम्भ मेला में तैनाती हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित (अक्टूबर से दिसम्बर 2012) किये गये। प्रतिभागियों को पाँच माड्यूलों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया जैसे (i) महाकुम्भ मेले से परिचय (ii) मानव संसाधन प्रबन्धन (iii) सुरक्षा एवं अभिसूचना (iv) यातायात प्रबन्धन एवं (v) संचार, अग्निशमन सेवायें एवं अपराध।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि:

i) कोई "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण"/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित नही किया गया था एवं महाकुम्भ मेला हेतु प्रशिक्षण को अर्थपूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित प्रशिक्षण–माड्यूलों, तकनीकी, शिक्षकों/प्रशिक्षकों के सम्बन्ध में विभागीय अथवा अर्न्तविभागीय स्तरों पर कोई प्रतिपुष्टि नही ली गयी थी;

ii) प्रशिक्षण–माड्यूलों में प्राकृतिक आपदा (भूकम्प बाढ़), बीमारियों, संक्रामक रोगों, नदी में डूबने से सुरक्षा; महिलाओं, बच्चों, वृद्धों एवं निःशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु कोई कार्यक्रम नही था;

iii) बार–बार अनुरोध के बावजूद भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रशिक्षित किये गये कर्मियों का विवरण नहीं दिया गया। प्रशिक्षकों एवं प्रशिक्षण हेतु अपनायी गयी क्रियाविधियों से सम्बन्धित कोई विवरण भी उपलब्ध नहीं कराये गये।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2013) कि विगत कुम्भ मेला के आधार पर मानव–शक्ति, प्रशिक्षण, हथियार एवं आयुध की आवश्यकता का आंकलन किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि महाकुम्भ मेले में मानव–शक्ति की तैनाती विगत

कुम्भ मेले पर आधारित नहीं थी, जैसा कि अध्याय–2 में टिप्पणी की गयी है। यह मानव संसाधनों के सम्बन्ध में अनुचित नियोजन का संकेतक था।

5.2.3 यातायात संचालन एवं प्रबन्धन

महाकुम्भ मेले में यातायात संचालन एवं नियंत्रण हेतु व्यवस्थायें पुलिस विभाग द्वारा की जानी थी। सामान्य एवं स्नान तिथियों के यातायात प्रबन्धन एवं नियमन हेतु पृथक–पृथक योजनायें बनायी जानी थीं। अलग–अलग परिस्थितियों में नियंत्रण एवं यातायात संचालन हेतु ग्यारह यातायात व्यावर्तन योजनायें थीं। अभिलेखों की जाँच में यद्यपि देखा गया कि यातायात योजना व्यापक नही थी तथा इसमें महत्वपूर्ण सूचनाओं को लोगों तक पहुँचाने की व्यवस्था में कमी थी। लेखापरीक्षा मे देखा गया किः

- यातायात योजनाओं में आगन्तुकों को स्नान के बाद रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं पार्किंग स्थलों को जाने वाले मार्ग नहीं बताये गये थे।

- पुलिस विभाग द्वारा संदेशों/उद्घोषणाओं के प्रसारण हेतु दो "अशासकीय संगठनों[1]" के "खोया–पाया केन्द्रों" का उपयोग किया गया था। उद्घोषणाओं द्वारा आगन्तुकों को मेला क्षेत्र में प्रवेश एवं बाहर जाने के मार्गों को सूचित किया गया था, परन्तु यातायात व्यवस्थाओं जैसे रेल, बसों के चलने के समय एवं मार्गों, पार्किंग आदि हेतु कोई उद्घोषणा नहीं की गयी थी। यद्यपि, 14 फरवरी 2013[2] से इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर भीड़ के एकत्र होने के कारण दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ के पश्चात् उद्घोषणाओं को संशोधित एवं अधिक व्यापक किया गया।

शासन द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया एवं बताया गया (नवम्बर 2013) कि लोगों को रेलवे एवं बस स्टेशनों हेतु मार्गों के सम्बन्ध में सूचित किया गया था। तथ्य यथावत था कि यातायात योजनायें वृहद नहीं थी एवं यातायात योजनाओं से सम्बन्धित सूचनाओं को पर्याप्त प्रसारित नही किया गया था।

5.2.4 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों हेतु प्रबन्धन

जिले के आठ रेलवे स्टेशनों में से तीन–झूंसी, दारागंज एवं प्रयाग–घाट मेला क्षेत्र में अन्य पाँच इलाहाबाद जंक्शन, इलाहाबाद सिटी (रामबाग), प्रयाग, फाफामऊ एवं नैनी, मेला क्षेत्र से बाहर स्थित थे। राजकीय रेलवे पुलिस को रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का नियमन एवं प्रबन्धन करना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया किः

- ***समन्वय का अभाव–*** महाकुम्भ मेले के दौरान यात्रियों का प्रबन्धन संयुक्त रूप से रेलवे, रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा किया जाना था। पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस, के अभिलेखों में देखा गया कि उपर्युक्त वर्णित विभागों के मध्य समन्वय का अभाव था क्योंकि यात्रियों के प्रबन्धन हेतु कोई समेकित योजना नही बनायी गई थी। जैसा कि पुलिस अधीक्षक (राजकीय रेलवे पुलिस) द्वारा पुष्टि (जुलाई 2013) की गई कि राजकीय रेलवे पुलिस के पास रेलवे द्वारा विशेष रेलगाड़ियों के संचालन या अन्य व्यवस्थाओं के बारे में कोई सूचना नहीं थी।

- ***"सजीव प्रसारण" को साझा करने का अभाव–*** राजकीय रेलवे पुलिस के नियंत्रण कक्ष में शहर एवं मेला क्षेत्र में स्थापित अन्य नियंत्रण कक्षों से "सजीव प्रसारण" को साझा करने हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। इस कारण, रेलवे स्टेशनों पर वास्तविक

[1] भारत सेवा दल एवं हेमवती नन्दन बहुगुणा भूले भटके शिविर।
[2] मुख्य स्नान तिथि 10 फरवरी 2013 के पश्चात।

एवं सम्भावित भीड़ के दबाव की सूचना अन्य रेलवे स्टेशनों, राजकीय रेलवे पुलिस प्राधिकारियों, पुलिस नियंत्रण कक्षों एवं जिला/मेला प्रशासन को नहीं दी जा सकी। यह रोचक था कि मेला नियंत्रण कक्ष के पास भी अन्य नियन्त्रण कक्षों जैसे नगर नियंत्रण कक्षों, रेलवे नियंत्रण कक्षों के साथ भी सजीव प्रसारण को साझा करने की कोई सुविधा नहीं थी।

प्रकरण पर शासन द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, पुलिस अधीक्षक (राजकीय रेलवे पुलिस), द्वारा सभी तथ्यों को स्वीकार किया गया।

सकारात्मक दृष्टांत

इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड

पुलिस विभाग द्वारा ₹ 1.05 करोड़ के क्रय से 30 इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड मेला क्षेत्र, शहर एवं शहर के बाह्य परिधि में अधिष्ठापित किये गये। इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड में *"जनरल पॉकेट रेडियो सेवा"* के लिए सर्वर, साफ्टवेयर एवं इन सेवाओं के साथ इसकी आन्तरिक मेमोरी में कम से कम दस पृष्ठों के ग्राफिक/टेस्ट मैसेज को संग्रहित करने की क्षमता थी। इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड में यह सुविधा थी कि किसी खराबी की स्थिति में सुधारात्मक कार्यवाही हेतु सेवा प्राधिकारी को स्वतः, स्वचालित संदेश के माध्यम से सूचित कर सकता था।

सभी इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड विशिष्ट कोड से सुसज्जित थे एवं मेला पुलिस नियंत्रण कक्ष द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नियंत्रित थे। मेला नियंत्रण कक्ष विभिन्न इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड पर तत्समय आवश्यकतानुसार अलग–अलग संदेश अविलम्ब प्रेषित कर सकता था।

इलेक्ट्रानिक वैरियेबिल मैसेज साईन बोर्ड का प्रयोग मेला क्षेत्र में एवं बाहर भीड़ प्रबन्धन, यातायात नियमन एवं श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के मेला क्षेत्र में प्रवेश एवं निकासी हेतु किया गया तथा यह पुलिस विभाग का इलाहाबाद नगर हेतु प्रथम प्रयोग था।

5.3 अग्निशमन सेवायें

महाकुम्भ मेला के दौरान अग्नि से बचाव के प्रबन्धन का दायित्व पुलिस विभाग के अग्निशमन सेवाओं का था, जिसके अन्तर्गत उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, अग्नि से बचाव सम्बन्धित मानकों का अनुपालन एवं अग्नि से बचाव के उपायों का जनसाधारण में प्रभावी प्रचार–प्रसार करना था।

5.3.1 उपकरणों का अभाव

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकांश अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकरणों जैसे अग्निशमन यंत्र (77 प्रतिशत), एम्बुलेन्स (60 प्रतिशत) एवं इमरजेन्सी लाइट (100 प्रतिशत) की कमी थी। भौतिक सत्यापन में देखा गया कि नमूना जाँच में शामिल सस्ते गल्ले की दस दुकानों में से किसी को भी अग्निशमन यंत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था।

5.3.2 अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन न किया जाना

अस्थायी ढांचे जैसे टेन्ट, पण्डाल, शिविर आदि, अधिकांशतः कपड़े एवं कैनवस से बने होने के कारण अग्नि दुर्घटना के प्रति सदैव संवेदनशील होते हैं। किसी भी अग्नि दुर्घटना के प्रकरण में अग्निकांड के प्रभाव को न्यूनतम करने एवं आग को शीघ्र बुझाने हेतु पर्याप्त उपाय वांछित थे। टेन्ट एवं पण्डालों के लगाये जाने के दौरान

भारतीय मानक ब्यूरो कोड (संख्याः 8758/1993) का अनुपालन आवश्यक था। अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि मेला अधिकारी द्वारा महाकुम्भ मेला के दौरान टिन/टेन्ट की आपूर्ति हेतु किये गये दर–अनुबन्ध में टिन/टेन्ट के लगाये जाने के दौरान ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करने हेतु कोई प्रावधान सम्मिलित नहीं किया गया था। ठेकेदारों द्वारा भी टिन/टेन्ट लगाये जाने में बी.आई.एस. कोड में प्रावधानित सम्बन्धित सुरक्षा मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। अग्नि से सुरक्षा के मानकों का उल्लंघन करने पर मेलाधिकारी और पुलिस विभाग द्वारा, किसी भी ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

अग्रेतर, गंगा नदी पर 18 पाण्टून पुल स्थापित किये गये। सभी पाण्टून पुल अधिकतम पाँच टन के भार–वहन क्षमता हेतु निर्मित थे। भार–वहन क्षमता को देखते हुए अग्निकांड की स्थिति में कोई भी पाण्टून पुल, अग्निशमन वाहन के भार–वहन हेतु उपयुक्त नहीं था।

5.3.3 सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाविधि का अभाव

अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस विभाग द्वारा एक त्रि–स्तरीय योजना बनायी गई थी जिसमें जनसाधारण को अग्निकांड से सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण, अग्निकांड की स्थिति में तत्परता से बचाव, जनसाधारण को अग्निसुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों से अवगत कराना था। अभिलेखों की जाँच मे देखा गया कि जनसाधारण में जागरूकता के व्यापक प्रचार के उद्देश्य से मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा मेले में *"क्या करें एवं क्या न करें"* उल्लिखित पम्पलेटों को वितरित किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन में पाया गया कि जाँचे गये 25 पण्डालों एवं टेन्टों में से किसी में भी अग्नि से सुरक्षा हेतु कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार, पम्पलेट वितरण का प्रभाव नहीं रहा। नमूना जाँच में सभी 25 पण्डालों एवं टेन्टों मे "अग्निशमन यंत्र" नहीं लगे थे।

अभिलेखों की जाँच में अग्रेतर, पाया गया कि महाकुम्भ मेले के दौरान 67 अग्नि दुर्घटनाओं में एक श्रद्धालु की मृत्यु के साथ ₹ 39.15 लाख की हानि हुई। आगे यह भी देखा गया कि इन 67 अग्नि दुर्घटनाओं मे शार्ट सर्किट एवं एलपीजी सिलेण्डर में लीकेज से क्रमशः 38 प्रतिशत एवं 31 प्रतिशत अग्नि दुर्घटनायें हुई। जिससे स्पष्ट था कि अग्नि से सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किये गये थे।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2013) कि उपकरणों की आवश्यकता का आकलन करके मांग प्रेषित की गयी थी एवं तदनुसार उपकरणों का अधिकतम उपयोग किया गया। यह भी बताया गया (नवम्बर 2013) कि अग्नि सुरक्षा मानकों हेतु विभिन्न स्तरों पर पत्राचार किया गया। अतः तथ्य यथावत थे कि अग्निकाण्ड से बचाव हेतु किया गया प्रबन्धन पर्याप्त नही था।

सकारात्मक दृष्टांत
खोया और पाया केन्द्र

मेला क्षेत्र के सेक्टर चार में दो अशासकीय संस्थाओं (भारत सेवा दल और हेमवती नन्दन बहुगुणा भूले भटके शिविर) द्वारा ''खोया और पाया'' के दो केन्द्र स्थापित किये गये थे। इन केन्द्रो द्वारा खोये/लापता व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचना प्रसारित की जा रही थी। केन्द्रों द्वारा एक पंजिका का रखरखाव किया गया था जिसमें उनके नाम, पता और अन्य विवरण अंकित किये गये थे। लेखापरीक्षा द्वारा भौतिक सत्यापन (12 फरवरी 2013) में पाया गया किः

1. लगभग 23 महिलायें और बच्चे, जो अपने परिवारजनों से 10.02.2013 को बिछड़ गये थे, उन्हें इन केन्द्रों में उचित व्यवहार के साथ भोजन, औषधियाँ एवं अन्य

सुविधायें प्रदान की जा रही थीं।

2. खोये हुए महिलाओं एवं बच्चों के सम्बन्धियों से सम्पर्क करने हेतु केन्द्रों द्वारा 'जन उद्घोषणा सुविधा', मोबाइल फोन एवं टेलीफोन द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा था।

3. अंततः, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 12.02.2013 को उपलब्ध करायी गयी बस द्वारा सभी 23 महिलाओं और बच्चों को उनके सम्बन्धित जिलों (जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया और गोरखपुर) में भेजा गया था।

4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यात्रा में महिलाओं एवं बच्चों के साथ बस में चार पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखा गया, जिसमें उन यात्रियो को उनके सम्बन्धियों से मिलाने हेतु सहायता करने के लिये अनुरोध किया गया था।

5. इन जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों द्वारा भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महाकुम्भ मेला को सूचित (21.02.2013) किया गया कि सभी उल्लिखित खोई हुई महिलाओं और बच्चों को उनके सम्बन्धियों को सुरक्षित सौंप दिया गया।

5.4 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सेवायें

5.4.1 संक्रमण मुक्त क्षेत्र

यूनाइटेड प्रोविन्सेस मेला नियम, 1940 (विविध) के नियम 15 में उद्धृत है कि जो व्यक्ति प्लेग, चेचक या अन्य संक्रामक रोग से ग्रसित हो वह मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। मेला क्षेत्र को संक्रमण मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से एवं संक्रामक रोगों से पीड़ित आगन्तुकों का मेला क्षेत्र में प्रवेश रोकने हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा निम्नलिखित योजना बनायी गयी थी:

- सभी प्रवेश स्थलों पर एक तथा शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 14 चेकपोस्ट, संक्रामक रोग वाहकों को अलग करने के लिये और उन्हे आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने हेतु स्थापित किया जाना था। मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर कीटनाशकों का छिड़काव सुनिश्चित करना था;
- 20 शैय्यायुक्त, दो[3] संक्रामक रोग चिकित्सालय संक्रामक रोग से पीड़ित मरीजों के उपचार हेतु स्थापित किया जाना था; और
- खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की मदद से बिकने वाले खाद्य पदार्थों की शुद्धता और स्वच्छता सुनिश्चित की जानी थी।

अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग, मेला क्षेत्र को संक्रमण मुक्त क्षेत्र स्थापित करने में विफल रहा क्योंकि संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों को पृथक नहीं किया गया था। संक्रामक रोग वाहकों को पृथक करने एवं उन्हें आवश्यक उपचार/टीकाकरण प्रदान करने के लिये यद्यपि 14 चेक पोस्टों को स्थापित करने की योजना बनायी गयी थी परन्तु उन्हें स्थापित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक एवं वार्ड–ब्वाय आवश्यकता के अनुरूप तैनात[4] नहीं थे। किसी भी संक्रामक रोग चिकित्सालय में संचारित/संक्रामक रोग जैसे *जापानी इन्सेफेलाइटिस, डेंगू, चिकेनगुनिया, बर्डफ्लू, स्वाइनफ्लू, प्लेग,*

---

[3] नागवासुकी उत्तरी एवं अरैल पूर्वी सेक्टर ।

[4] 12 चिकित्सकों की आवश्यकता के सापेक्ष आठ चिकित्सक तैनात थे एवं किसी भी संक्रामक रोग चिकित्सालय में वार्ड–ब्वाय तैनात नहीं थे।

डायरिया, एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिन्ड्रोम इत्यादि के टीकाकरण की सुविधायें उपलब्ध नही थीं। अतः संचारित/संक्रामक रोग से पीड़ित लोगों का मेला क्षेत्र में प्रवेश रोकने का उद्देश्य विफल रहा, जिससे मेला क्षेत्र संक्रामक रोगों के प्रसार से असुरक्षित बना रहा।

शासन द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया (नवम्बर 2013) कि चेक पोस्ट स्थापना की योजना बनायी गयी थी किन्तु बाद में इसे अव्यवहारिक मानकर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों आदि पर प्राथमिक उपचार केन्द्र की स्थापना की गयी और वेक्टर नियंत्रण इकाई द्वारा यह कार्य निष्पादित किया गया। शासन द्वारा, अग्रेतर बताया गया कि महामारी या संक्रामक रोग की कोई घटना संज्ञान में नही आयी जो दर्शाता है कि मेला क्षेत्र संक्रमण मुक्त रहा। उत्तर से स्पष्ट है कि संक्रामक रोग वाहकों को पृथक करने के लिये चेकपोस्ट स्थापित नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में शासन की यह धारणा कि महामारी या संक्रामक रोग की घटना नही हुई, उचित नहीं थी, क्योंकि ये बीमारियाँ तत्काल प्रकाश में नहीं आती अतः सुरक्षात्मक उपायों का प्रावधान निश्चित रूप से किया जाना चाहिये था।

5.4.2 केन्द्रीय, पुलिस और क्षेत्रीय चिकित्सालयों की स्थापना

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेले के दौरान 5,27,818 वाह्य रोगियों का विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार किया गया एवं 4,427 मरीजों को भर्ती किया गया। 4,427 भर्ती रोगियों में से 953 मरीजों को अन्य चिकित्सालयों में चिकित्सा हेतु सन्दर्भित किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन चिकित्सालयों में जनशक्ति, कई अनिवार्य औषधियों, उपकरणों आदि की कमी थी जैसा कि नीचे वर्णित है:

- पुलिस एवं सर्किल चिकित्सालयों में महिला मरीजों के लिये अलग से वार्ड नहीं बनाये गये थे;
- पुलिस एवं सर्किल चिकित्सालयों में महिला चिकित्सक/स्त्री–रोग विशेषज्ञ तैनात नहीं थीं; और
- पुलिस एवं सर्किल चिकित्सालयों में आपातकालीन कक्ष और शल्य–कक्ष स्थापित नहीं थे।

उत्तर में शासन ने स्वीकार किया (नवम्बर 2013) कि महिला मरीजों के लिये अलग से वार्ड, महिला चिकित्सक और आपातकालीन कक्ष स्थापित नहीं थे।

- केन्द्रीय, पुलिस एवं सर्किल चिकित्सालयों में चिकित्सक एवं पैरा–चिकित्सा कर्मी पर्याप्त संख्या में तैनात नहीं थे। चिकित्सा एवं पैरा–चिकित्सा दोनों के 261 स्वीकृत पदों के सापेक्ष क्रमशः 216 (17 प्रतिशत की कमी) और 253 (तीन प्रतिशत की कमी) पदों पर ही तैनाती की गयी थी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (नवम्बर 2013) कि जनसंख्या एवं आवश्यकता के अनुसार चिकित्सकों/पैरा–चिकित्सा कर्मियों को तैनात किया गया था और लघु शल्य–चिकित्सा कार्य, शल्य चिकित्सकों द्वारा किये गये थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चिकित्सक एवं पैरा–चिकित्सा कर्मी दोनों, योजना के अनुरूप तैनात नहीं किये गये थे।

- महाकुम्भ मेला प्रारम्भ होने (14 जनवरी 2013) के 17 दिनों बाद ओरल रिहाइड्रेशन घोल सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया था;

- महाकुम्भ मेला प्रारम्भ होने (14 जनवरी 2013) के बाद 55 औषधियों को निर्गत करने में सात से 38 दिनों का विलम्ब रहा; तथा

- क्षेत्रीय और पुलिस चिकित्सालय, सामान्य प्राप्त सुविधाओं, औषधियों, उपकरणों, टीकों एवं सीरम जैसे प्रसूति सुविधायें, प्रसूति सम्बन्धी औषधियाँ, एक्स–रे और अल्ट्रासाउण्ड मशीनें, रैबीज–निरोधी टीके और विष–निरोधक सीरम से वंचित रहे।

शासन द्वारा कोई उत्तर नही दिया गया (मार्च 2014)।

सकारात्मक दृष्टांत

आयुष

आयुष का उद्देश्य– भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी विभाग मार्च 1995 में सृजित हुआ था तथा वैकल्पिक औषधियों के लिये शिक्षा के विकास और अनुसंधान को ध्यान में रखकर नवम्बर 2003 में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष), के नाम से पुर्ननामित किया गया था।

आयुर्वेद और होम्योपैथी

महाकुम्भ मेले के दौरान तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आयुर्वेदिक चिकित्सालय मेला क्षेत्र में स्थापित किये गये थे।

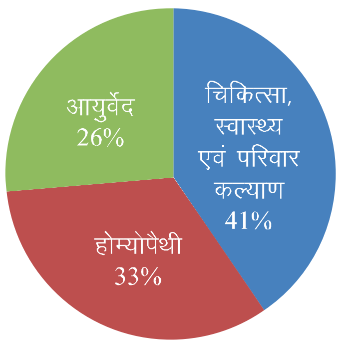

एक सेवा प्रदाता होने के नाते, होम्योपैथी चिकित्सालय श्रद्धालुओं, संतो, तीर्थयात्रियों और कल्पवासियों को चिकित्सा सेवायें प्रदान कर रहे थे। मेला क्षेत्र में स्थापित होम्योपैथी चिकित्सालयों द्वारा श्रद्धालुओं को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु औषधि क्रय एवं चिकित्सकों और फार्मासिस्टों की तैनाती की गयी थी। विवरण निम्नवत् है:

क्रम संख्या	विवरण	आयुर्वेद	होम्योपैथी
1	सम्बद्ध चिकित्सक	35	42
2	सम्बद्ध फार्मासिस्ट	35	37
3	मेला क्षेत्र में स्थापित चिकित्सालयों की संख्या	11 (चार शैय्यायुक्त एक अन्तःवासी चिकित्सालय सहित)	12 (10 शैय्यायुक्त एक अन्तःवासी चिकित्सालय सहित)
4	आवंटित धन (₹ में)	48.00 लाख	50.00 लाख
5	औषधियों का क्रय (₹ में)	25.94 लाख	10.44 लाख
6	अन्तः रोगियों की संख्या	31	48
7	वाहय रोगियों की संख्या	3,43,770	4,25,403
8	मार्च 2013 में समर्पित धनराशि (₹ में)	3.23 लाख	21.96 लाख

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को उनके स्थल पर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये जिला होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी को ''चलित चिकित्सा इकाई'' प्रदान की गयी थी। ''चलित चिकित्सा इकाई'' तीन चिकित्सकों (एक महिला चिकित्सक सहित), एक फार्मासिस्ट और एक सहायक सहित 75 प्रकार की औषधियों से सुसज्जित थी। महाकुम्भ मेले के दौरान चलित चिकित्सा इकाई द्वारा 3,822 मरीजों का उपचार किया गया। मेलों के इतिहास में इलाहाबाद में

यह सुविधा प्रथम बार प्रदान की गयी थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन, साक्षात्कार एवं लेखापरीक्षा में अभिलेखों के जाँच में भी देखा गया कि आयुर्वेद एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों के द्वारा जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें महाकुम्भ मेले में प्रदान की गयी थी इस सम्बन्ध मे श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों के द्वारा कोई शिकायत प्राप्त नही हुई थी। वास्तव में, इसकी प्रशंसा समाचार पत्रों/ साक्षात्कारों में भी की गयी थी।

महाकुम्भ मेले में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के 41 प्रतिशत के सापेक्ष होम्योपैथी एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का 59 प्रतिशत आगन्तुकों द्वारा उपयोग किया गया। उक्त आँकड़े इंगित करते हैं कि जनसाधारण द्वारा भी वैकल्पिक औषधियों में अधिक विश्वास किया गया।

5.5 शौचालयों का निर्माण

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेला क्षेत्र में निर्मित शौचालयों और मूत्रालयों की संख्या किसी मापदण्ड पर आधारित नहीं थी। इसके अतिरिक्त, पुरूष एवं महिलाओं के लिये समान संख्या में जनशौचालय निर्मित थे। शौचालयों एवं मूत्रालयों की संख्या पर्याप्त नहीं थी जैसा कि अधोलिखित **सारणी–1** में दिये गये विवरण से स्पष्ट है:

सारणी–1: प्रति–व्यक्ति उपलब्धता

क्रम संख्या	इकाई	निर्मित संख्या	*मौनी अमावस्या,* 10 फरवरी 2013 को श्रद्धालुओं की संख्या (करोड़ में)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता	एक इकाई पर श्रद्धालुओं की संख्या
1	शौचालय	33,903	3.05	0.00111	899
2	मूत्रालय	1,625	3.05	0.00005	18,769

(स्रोतः अपर निदेशक, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि 899 श्रद्धालुओं हेतु एक शौचालय (अधिकतम) उपलब्ध था। लगभग 900 श्रद्धालुओं द्वारा एक दिन में एक ही शौचालय का उपयोग सम्भव नहीं था। इस प्रकार, प्रदत्त सुविधायें वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप नहीं थीं।

संयुक्त भौतिक निरीक्षण में 24.01.2013 को देखा गया कि सेक्टर 10 (शिवाला पश्चिम) में महिलाओं हेतु निर्मित शौचालयों में विभाजन दीवार नहीं थी एवं सेक्टर 14 में निर्मित महिला जन–मूत्रालयों {(अरैल पूर्वी) 31.01.2013, (अरैल पश्चिम) 02.02.2013} में भी ऐसा ही देखा गया।

खुले में शौच करने के लिये फ्लैग एरिया (बिना दीवारों के खुले शौचालय) का निर्माण विभाजन–दीवार के बिना ही किया गया था। फ्लैग एरिया के चारों तरफ मात्र टिन की चहारदीवारी निर्मित थी, जो बिना गोपनीयता के, लोगों को खुले में शौच हेतु फ्लैग एरिया का उपयोग करने के लिये बाध्य करती थी।

उत्तर में, शासन ने फ्लैग एरिया शौचालयों के सम्बन्ध में मौन रहते हुए तथ्यों को स्वीकार किया एवं विभाजन दीवारों को लगाने की वास्तविक तिथि सूचित किये बिना ही बताया (नवम्बर 2013) कि शौचालयों में विभाजन दीवार बना ली गयी थी।

5.6 उचित दर की दुकानों का अनुचित संचालन

मेला क्षेत्र मे निवास करने वाले कल्पवासियों और अन्य श्रद्धालुओं को गेहूँ, चावल, आटा, चीनी और मिट्टी का तेल गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर उपलब्ध कराने के लिये

महाकुम्भ मेला क्षेत्र मे 124 उचित दर की दुकानें स्थापित की गयी थीं। इन उचित दर की दुकानों से आवश्यक सामग्रियाँ प्राप्त करने के लिये अस्थायी राशन कार्ड निर्गत किये जाने थे। अभिलेखों की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के दौरान एकत्रित साक्ष्यों में उचित दर की दुकानों का अनुचित प्रबन्धन एवं संचालन पाया गया कि जैसा कि नीचे वर्णित है:

5.6.1 राशन कार्ड निर्गत करने का लक्ष्य अप्राप्त रहना

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आकलन के पश्चात, दो लाख राशन कार्ड निर्गत करने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 1.02 लाख (लगभग 50 प्रतिशत) राशन कार्ड निर्गत किये गये थे। अग्रेतर, जाँच में देखा गया कि सभी 14 सेक्टरों में उपभोक्ताओं को राशन कार्ड का वितरण 19 से 24 जनवरी 2013 के मध्य प्रारम्भ करके आठ से 17 फरवरी 2013 के मध्य पूर्ण किया गया। राशन कार्ड का निर्गमन कार्य पूर्ण होने तक छः में से चार पावन स्नान तिथियाँ व्यतीत हो चुकी थीं। अतः महाकुम्भ मेले की सम्पूर्ण अवधि के दौरान 50 प्रतिशत पात्र कल्पवासी गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर आवश्यक सामग्रियों की प्राप्ति से वंचित रहे।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

5.6.2 उचित दर की दुकानों का समय से पूर्व बन्द होना

मेला अधिकारी के आदेशानुसार (दिसम्बर 2012) कल्पवासियों के अलावा, सभी श्रद्धालुओं को अनाज/चीनी/मिट्टी का तेल मुख्य स्नान तिथियों एवं मुख्य स्नान तिथियों के एक दिन पूर्व तथा एक दिन बाद, उचित दर की दुकानों से गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर निर्गत किया जाना था। परन्तु मेला अधिकारी ने आदेश दिया (फरवरी 2013) कि सेक्टर–2 की दो दुकानों को छोड़कर सभी उचित दर की दुकानें 26 फरवरी 2013 को ही बन्द कर दी जायें। तद्नुसार, सेक्टर–2 की दो दुकानों को छोड़कर सभी उचित दर की दुकानें 26 फरवरी 2013 को बन्द कर दी गयीं। उल्लेखनीय है कि अन्तिम मुख्य स्नान तिथि 10 मार्च 2013 (महाशिवरात्रि) थी तथा 55 लाख श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों का आगमन सम्भावित था। मेला अधिकारी के आदेशानुसार (दिसम्बर 2012) सभी श्रद्धालुओं को तीन दिन (09 मार्च से 11 मार्च 2013) अनाज/चीनी/मिट्टी का तेल प्रदान किया जाना था। सेक्टर–दो को छोड़कर सभी सेक्टरों में दुकाने बन्द हो गयी थीं। दो दुकानों के माध्यम से लगभग 55 लाख श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों को अनाज/चीनी/मिट्टी का तेल प्राप्त कराना सम्भव नहीं था।

अतः समय से पूर्व उचित दर की दुकानों की बन्दी के कारण लाखों श्रद्धालुओं/तीर्थयात्रियों को गरीबी रेखा के नीचे की दरों पर आवश्यक अनाज/चीनी/मिट्टी का तेल की प्राप्ति के लाभ से वंचित रहना पड़ा। अग्रेतर, आवंटन के सापेक्ष केवल 12 से 37 प्रतिशत अनाज/चीनी/मिट्टी का तेल वितरित किया गया था, जिसकी चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

उत्तर में शासन ने बताया (नवम्बर 2013) कि आवश्यकता के अनुसार दुकानें और गोदाम खोले गये थे तथा मांग के अनुसार वितरण किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दुकानें समय से पूर्व बन्द कर दी गयी थीं जैसा कि उपर इंगित है।

5.6.3 महाकुम्भ मेला हेतु आवंटित आवश्यक सामग्रियों का उपयोग न किया जाना

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा महाकुम्भ मेला हेतु गरीबी रेखा के नीचे की दर पर गेहूँ, एवं चावल आवंटित (सितम्बर 2012) किया गया

था। चीनी एवं मिट्टी का तेल भी आवंटित किया गया था। परन्तु क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक के अभिलेखों की जाँच में प्रकाश में आया कि इन वस्तुओं का उठान एवं वितरण, आवंटन के सापेक्ष बहुत कम था जैसा कि नीचे **सारणी–2** में दर्शाया गया है:

सारणी–2: अनाज, चीनी और मिट्टी के तेल के आवंटन, उठान एवं वितरण की स्थिति

सामग्री	इकाई/ मूल्य (₹ में)	आवंटन	उठान (कालम–3 का प्रतिशत)	वितरण (कालम–3 का प्रतिशत)	अवशेष	
					मात्रा	धनराशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
गेंहूँ	मीट्रिक टन/ 5,000	16,200 मीट्रिक टन	आटा: 3,586.25 मीट्रिक टन गेहूँ: 96.20 मीट्रिक टन योगः 3,682.45 (23)	आटा: 3,544.954 मीट्रिक टन गेहूँ: 96.20 मीट्रिक टन योगः 3641.154 (22)	आटा: 41.296 मीट्रिक टन	2,06,480
चावल	मीट्रिक टन/ 6,150	9,600 मीट्रिक टन	2,906 मीट्रिक टन (30)	2,886.087 मीट्रिक टन (30)	20.363 मीट्रिक टन	1,25,232
चीनी	मीट्रिक टन/ 13,500	6,000 मीट्रिक टन	2,396.90 मीट्रिक टन (40)	2,235.071 मीट्रिक टन (37)	161.829 मीट्रिक टन	21,84,691
मिट्टी का तेल	किलो लीटर/ 15,200	6,164 किलो लीटर	806.18 किलो लीटर (13)	724.196 किलो लीटर (12)	81.984 किलो लीटर	12,62,553

(स्रोतः क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, इलाहाबाद द्वारा प्रदत्त सूचना)

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण, आवंटन के सापेक्ष अत्यन्त कम अर्थात 12 से 37 प्रतिशत तक ही किया गया था। विभिन्न वस्तुओं के कम उपयोग का कारण आवश्यक संख्या में राशन कार्डो का निर्गमन न किया जाना, राशन कार्डो का विलम्बित निर्गमन तथा उचित दर की दुकानों का समय से पूर्व बन्द कर दिया जाना था। जिसकी चर्चा प्रस्तर 5.6 में की गयी है।

इस प्रकरण पर शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, जिला आपूर्ति अधिकारी ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि की (अगस्त 2013) और बताया कि बचे हुए आटे का वितरण नगर के उचित दर की दुकानों को मई 2013 में कर दिया गया था।

5.6.4 अखाद्य आटे का उपयोग किया जाना

मेला क्षेत्र में उचित दर की दुकानों को 26 फरवरी 2013 को बन्द कर दिया गया था तथा यह भी देखा गया कि वितरण के पश्चात 41.296 मीट्रिक टन आटा उचित दर की दुकानों के मालिकों के पास शेष बचा था। क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक ने जिला आपूर्ति अधिकारी को आदेशित (8 मार्च 2013) किया कि बचे हुए आटे को उचित दर की दुकानों के मालिकों को तत्काल आवंटित कर दिया जाय ताकि किसी प्रकार की शासकीय हानि से बचा जा सके। परन्तु आटा अखाद्य, कीटाणुयुक्त तथा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उप आयुक्त खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लखनऊ को इस सम्बन्ध में सूचित (1 अप्रैल 2013) किया तथा उनसे आवश्यक निर्देश मांगा। जिला आपूर्ति अधिकारी ने उच्चाधिकारियों के निर्देशों की प्रतीक्षा किये बिना अप्रैल 2013 में खराब आटा उचित दर की दुकानों के मालिकों को वितरित कर दिया जबकि उपरोक्त आटा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था। अस्तु, 41.296 मीट्रिक टन आटा जो कि मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था, उपभोक्ताओं को वितरित कर दिया गया जो स्वास्थ्य हेतु खतरनाक था तथा हजारों लोगों का जीवन संकट में डाला गया।

शासन ने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि अवशेष आटा गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थियों को वितरित किया गया था तथा न तो कोई मात्रा अखाद्य थी और न ही

लाभार्थियों को तरफ से कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि जिला आपूर्ति अधिकारी ने उच्चाधिकारियों को सूचित (अप्रैल 2013) किया था कि आटा मानव उपयोग हेतु उपयुक्त नहीं था।

5.7 खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग राज्य में, अन्य बातों के साथ–साथ, मिलावटी, अधोमानक एवं सड़े–गले खाद्य सामग्रियों की बिक्री के निषेध हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु यह खाद्य सामग्रियों की बिक्री करने वाली दुकानों का पंजीकरण/अनुज्ञप्ति जारी करने, खाद्य सामग्रियों, औषधियों के नमूनें एकत्रित करने एवं उन नमूनों की प्रयोगशालाओं में जाँच कराने तथा दोषियों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ करने की कार्यवाही करता है।

5.7.1 अपर्याप्त सुविधायें

सम्भागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी, इलाहाबाद खण्ड, इलाहाबाद के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि महाकुम्भ मेले के दौरान जागरूकता प्रसार एवं प्रवर्तन कार्य हेतु राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी (कुम्भ मेला) को चलित वाहन, प्रचार सामग्री, रसायनों, वाहनों आदि हेतु प्रस्ताव 15 जनवरी 2013 को प्रेषित किया गया, जबकि महाकुम्भ मेला 14 जनवरी 2013 को ही प्रारम्भ हो चुका था। चलित वाहन तथा प्रचार सामग्री उपलब्ध नही करायी गयी तथा ''चलित प्रयोगशाला'' मेला क्षेत्र मे स्थापित नहीं की गयी थी। नमूनों की जाँच हेतु रसायनों की आपूर्ति भी विलम्ब से की गयी थी। 23 प्रकार की जाँच सामग्रियों (रसायनों एवं उपकरणों) के सापेक्ष मात्र सात प्रकार की जाँच सामग्रियाँ ही सम्भागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी को 26 फरवरी 2013 को उपलब्ध करायी गयी, जबकि तब तक छः पावन स्नान तिथियों में से पॉच स्नान तिथियाँ व्यतीत हो चुकी थीं। इससे नमूनों की जाँच अत्यन्त प्रभावित हुई, क्योंकि महाकुम्भ मेले में इस हेतु तैनात किये गये दो विश्लेषकों के द्वारा 26 फरवरी से 10 मार्च 2013 की बीच मात्र 16 नमूनों की जाँच की गई थी। विश्लेषकों द्वारा स्वयं बताया गया (11 मार्च 2013) कि यदि चलित वाहन एवं रसायनों की उपलब्धता समय से होती तो वे अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन कर सकते थे। अस्तु, चलित वाहनों एवं प्रचार सामग्रियों के अभाव में वांछित जागरूकता अभियान एवं प्रवर्तन कार्य नहीं किया जा सका।

शासन ने प्रकरण पर कोई उत्तर नहीं दिया (मार्च 2014)। यद्यपि, सम्भागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उपरोक्त वर्णित निष्कर्षों की पुष्टि की गयी (जून 2013)।

5.7.2 खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में विभिन्न संस्थाओं को जागरूक बनाने में असफल रहना

सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों के द्वारा विभिन्न भागीदारों को जागरूक बनाने के उद्‌देश्य से भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा मेला क्षेत्र में एक संस्थान/स्टाल लगाने का निर्णय (दिसम्बर 2012) लिया गया था। राज्य सरकार एवं भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मध्य यह सहमति थी कि संस्थान/स्टाल की स्थापना तथा भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अधिकारियों के रहने हेतु स्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, तथापि, राज्य सरकार द्वारा भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक प्राधिकरण, संस्थान/स्टाल की स्थापना नहीं की गई थी। अतः विभिन्न भागीदारों को खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में जागरूक बनाने का उद्‌देश्य पूर्ण नहीं हुआ ।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

5.7.3 अपर्याप्त प्रतिचयन

आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, लखनऊ द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन के गोदामों में भण्डारित गेहूँ, चावल एवं आटे के साप्ताहिक प्रतिचयन का निर्देश दिया गया (जनवरी 2013)। परन्तु सम्भागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गेहूँ, चावल एवं आटे के निरन्तर प्रतिचयन के आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया गया। महाकुम्भ मेले के दौरान आवश्यक 32 नमूनों[5] के सापेक्ष पूर्ण मेला अवधि में गेहूँ, चावल एवं आटे के क्रमशः मात्र दो, नौ एवं 11 नमूने ही लिये गये। गेहूँ के लिये गये दोनों नमूने अधोमानक पाये गये जबकि चावल के चार नमूने अधोमानक थे।

अग्रेतर, जाँच में पाया गया कि सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, इलाहाबाद ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया (29 जनवरी 2013) कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के दो, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के चार, सम्बन्धित आटे की मिलों के तीन तथा उचित दर की दुकानों के 124 नमूनों का साप्ताहिक प्रतिचयन किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अस्तु, इन गोदामों/दुकानों से न्यूनतम 938[6] नमूने लिये जाने थे जिसके सापेक्ष मात्र 23 आवेक्षण नमूने ही एकत्र किये गये। इस प्रकार मेला क्षेत्र में आपूर्तित/बिक्रित खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित नहीं की गई तथा उपभोक्ता, अधोमानक/मिलावटी/नकली खाद्य पदार्थों के उपभोग के प्रति असुरक्षित रहे।

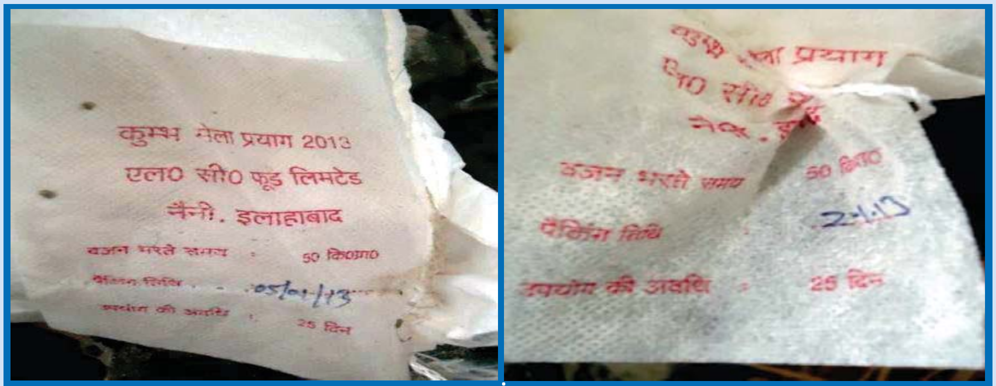

सेक्टर–6 में उचित दर की दुकान संख्या–12 में वितरण हेतु कालातीत तिथि का आटे का बैग दिनांक 05.02.13

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता नियन्त्रण के उद्देश्य से सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक द्वारा आदेशित (29 जनवरी 2013) किया गया कि क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारी आटे के मिलों का नियमित निरीक्षण करेंगे। आटा मिलों में आटे की गुणवत्ता जाँच हेतु कुछ अधिकारीगण नामित भी किये गये थे परन्तु इन अधिकारियों द्वारा आटे की गुणवत्ता की कोई जाँच नहीं की गई थी।

शासन द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

5.8 बाट एवं माप–आवश्यक निरीक्षण करने में विफलता

राज्य सरकार ने निर्देशित (नवम्बर 2012) किया था कि उचित दर की दुकानों एवं अन्य दुकानों का सामान्य एवं औचक निरीक्षण, उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं बाट व माप विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा जिससे मेला क्षेत्र में लोगों को उचित मात्रा में सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा सके। प्रति निरीक्षक, प्रति माह 200 निरीक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। परन्तु मेला

[5] प्रत्येक गोदाम से प्रति सप्ताह एक नमूना लिया जाना था। अस्तु, चार गोदामों हेतु 32 नमूने (महाकुम्भ मेले के 8 सप्ताह × 4 =32 नमूने) जाँच हेतु लिये जाने थे।

[6] गोदामों एवं दुकानों की संख्याः 134; एक सप्ताह के दिनः सात; प्रत्येक दुकान में प्रतिदिन एक नमूनाः 938 नमूने।

अवधि में, महाकुम्भ मेला हेतु तैनात निरीक्षकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं किये गये जैसा कि नीचे वर्णित है:

सारणी–3: निरीक्षकों द्वारा सम्पादित निरीक्षणों की स्थिति

(संख्या में)

क्रम संख्या	माह	निरीक्षकों की संख्या	निरीक्षण हेतु लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
1	जनवरी	04	800	105	695 (87)
2	फरवरी	05	1,000	120	880 (88)

जैसा कि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि दुकानों के निरीक्षण में 87 प्रतिशत से 88 प्रतिशत तक की कमी रही। अस्तु, विभाग, श्रद्धालुओं/आगन्तुकों को उचित मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में असफल रहा तथा उन्हें दुकानदारों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया।

शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)।

5.9 नगर निगम द्वारा पेयजल की वैधानिक जाँच किये जाने में असफलता

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका जल आपूर्ति नियम 1968 में पेयजल की जाँच की प्रकृति, नमूनों के स्रोत एवं किये जाने वाले परीक्षणों की आवर्तता का प्रावधान है। बैलेन्सिंग एवं कलेक्टिंग जलाशयों, नलों, जल आपूर्ति करने वाले टैंकों, अपरिष्कृत जल, बालू छनित तथा स्वच्छ जल के जलाशयों से संग्रहित किये गये जल नमूनों में बैक्टिरियोलॉजिकल कोलोनी काउन्ट एवं लैक्टोस फरमेन्टेशन जाँच साप्ताहिक रूप से तथा रासायनिक जाँच (अवशिष्ट क्लोरीन की जाँच सहित 18 प्रकार के रासायनिक परीक्षण) त्रैमासिक रूप से किया जाना था। इलाहाबाद नगर निगम के अभिलेखों की जाँच से प्रकाश में आया कि महाकुम्भ मेले की अवधि में बैक्टिरियोलॉजिकल कोलोनी काउन्ट एवं लैक्टोस फरमेन्टेशन जाँच मानकों के अनुसार नहीं की गयी थी। साप्ताहिक जाँच के बजाय जनवरी से मार्च 2013 की अवधि में नगर के 201 नलकूपों मे से छः नलकूपों/जलाशयों के मात्र छः नलों के नमूने प्रतिमाह लिये गये थे। अपरिष्कृत जल (यमुना नदी) एवं छनित जल की रासायनिक जाँच मासिक रूप से की जा रही थी परन्तु जनवरी से मार्च 2013 की अवधि में 201 नलकूपों मे से मात्र छः नलकूपों में से ही रासायनिक जाँच हेतु नमूने एकत्र किये गये थे।

शासन ने उपरोक्त तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (मार्च 2014) कि निगम के जलकल विभाग में बैक्टिरियोलॉजिकल कोलोनी काउन्ट के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तथ्य यथावत था कि पेयजल के सम्बन्ध में प्रावधानित परीक्षण नहीं किये गये, फलस्वरूप श्रद्धालु/आगन्तुकों का स्वास्थ्य जोखिमपूर्ण रहा।

5.10 सुरक्षा

महाकुम्भ मेला जैसे विशाल आयोजन को आयोजित करने हेतु बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था किया जाना आवश्यक था। राज्य सरकार ने मेला क्षेत्र में आगन्तुकों की बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था हेतु स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति की व्यवस्थाओं के साथ साथ राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की तैनाती की थी। नक्सली एवं आतंकी हमलों की सम्भावनाओं को देखते हुए खुफिया, सर्विलान्स की विशेष व्यवस्थाओं के नियंत्रण के साथ साथ किसी प्रकार की आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने हेतु 'त्वरित कार्य बलों' की तैनाती भी की गई थी।

5.10.1 मानव संसाधन प्रबन्धन

महाकुम्भ मेले में श्रद्धालुओं/आगन्तुकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस विभाग के सिविल पुलिस, घुड़सवार पुलिस, खुफिया कार्मिकों तथा रेडियो एवं वायरलेस कर्मियों की तैनाती की गई थी। इसके अतिरिक्त, महाकुम्भ मेले मे प्राविन्शियल आर्म्ड कान्सटेबुलरी, होमगार्ड तथा केन्द्रीय सुरक्षा बलों का भी नियोजन किया गया था ***(परिशिष्ट–5.2)***। यद्यपि, आकलित आवश्यकताओं के सापेक्ष कार्मिकों की तैनाती नहीं की गई थी तथा लगभग सभी संवर्गो में पाँच से 69 प्रतिशत के बीच की कमी थी। पुलिस विभाग द्वारा महाकुम्भ मेले में मानव–शक्ति की तैनाती में किसी भी मानदण्ड के अभाव के कारण मानव–शक्ति की तैनाती की पर्याप्तता की जाँच लेखा परीक्षा में नहीं जा सकी।

शासन ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2013) कि मानव–शक्ति, प्रशिक्षण, हथियार एवं गोला बारूद आदि की आवश्यकता का आंकलन विगत कुम्भ मेला के आधार पर किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि महाकुम्भ मेला 2013 में की गयी मानव–शक्ति की तैनाती का कोई सम्बन्ध विगत कुम्भ मेले से नहीं था।

5.10.2 वाच टावर

अनवरत निगरानी के उद्देश्य से महाकुम्भ मेला क्षेत्र में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महाकुम्भ मेला द्वारा मेला क्षेत्र मे विभिन्न स्थलों पर 68 वाच टावर[7] लगाये गये थे। इन वाच टावरों पर पुलिस के जवानों की तैनाती होनी थी।

अभिलेखों की जाँच मे पाया गया कि स्नान तिथियों पर सभी 68 वाच टावरों पर 24 घंटे (दो पालियों में) पुलिसकर्मियों की तैनाती की गयी, जबकि सामान्य दिवसों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। 19 जनवरी 2013 से 17 फरवरी 2013 के दौरान चार विभिन्न तिथियों पर विभिन्न सेक्टरों में संयुक्त भौतिक सत्यापन में उक्त तथ्य की पुष्टि हुई क्योंकि पाँच वाच टावर मानवरहित पाये गये। स्नान तिथियों के अतिरिक्त सामान्य दिनों में भी मेला क्षेत्रों में करोड़ों आगन्तुक आये। वाच टावरों पर गैर–स्नान तिथियों पर भी तैनाती की जानी चाहिये थी।

सेक्टर–4 में मानवरहित वाच टावर
दिनांक 12.2.2013 (अपरान्ह 6:25 बजे)

शासन द्वारा प्रकरण पर स्पष्ट उत्तर नही दिया गया (मार्च 2014)। जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुष्टि की गयी (मई 2013) कि वाच टावरों पर तैनाती मात्र स्नान तिथियों पर ही की गयी थी।

---
[7] परेड क्षेत्र: 36; झूंसी: 21; तथा अरैल: 11।

5.11 अन्य रोचक बिन्दु

महाकुम्भ मेले के दौरान भीड़ प्रबन्धन में निम्नलिखित कमियाँ भी अवलोकित हुईः

5.11.1 महाकुम्भ मेले के दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की अपर्याप्त जाँच किया जाना

सुरक्षा की दृष्टि से महाकुम्भ मेले के दौरान यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की गहन जाँच की जानी चाहिए थी। पुलिस अधीक्षक/यातायात से एकत्रित सूचना/विवरणों के अनुसार महाकुम्भ मेले के दौरान वाहनों की जाँच हेतु कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया था। यह रोचक था कि माह दिसम्बर 2012 के दौरान यातायात मानकों के उल्लंघन करने के कारण 1,446 वाहनों पर दण्डारोपण किया गया था। जनवरी 2013 से मार्च 2013, जब महाकुम्भ मेले में वाहनों का आगमन बढ़ा, यातायात नियमों के उल्लंघन में दण्डारोपित वाहनों की संख्या घट[8] गयी। (जनवरीः 1,375; फरवरीः 772; मार्चः 1,231)।

प्रकरण पर शासन द्वारा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। जबकि, पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा उक्त तथ्यों की पुष्टि की गयी (सितम्बर 2013)।

5.11.2 स्नान घाटों पर कमियाँ

लेखापरीक्षा द्वारा 28 में से 10 स्नानघाटों पर प्रदत्त सुविधाओं का भौतिक निरीक्षण/सत्यापन किया गया। जिसमें देखा गया किः

- एक स्नानघाट पर कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं था (हरिश्चन्द्र घाट);
- बलुआघाट पर स्वच्छता व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी क्योंकि स्नान तिथियों (10 फरवरी 2013 एवं 15 फरवरी 2013) पर भी वहाँ कूड़े का ढेर आदि था;
- दो घाटों (हरिश्चन्द्र घाट एवं संगम अपर घाट) पर "आगे गहरा पानी हैं" को संकेत करने वाले "चेतावनी बोर्ड" नहीं लगाये गये थे;
- संगम अपर घाट पर वस्त्रों को बदलने हेतु (चेन्ज रूम) व्यवस्था नहीं थी;
- पाण्टून पुल 16, सेक्टर–7 स्थित घाट पर जल पुलिस एवं रिवर एम्बुलेन्स तैनात नहीं थी; और
- एक घाट (पाण्टून पुल 16, सेक्टर–7) पर विद्युत व्यवस्था पर्याप्त नही थी, जैसे– हाइ–मास्ट स्थापित नहीं थे।

यमुना नदी के बलुआ घाट पर पड़ा बन्दर का शव दिनांक 10.02.2013

संगम अपर घाट पर चेन्ज रूम का अभाव दिनांक 06.02.2013 (पूर्वान्ह 11:40 बजे)

---

[8] पुलिस अधीक्षक/यातायात ने कुल जाँच किये गये वाहनों की संख्या नहीं सूचित किया ।

प्रकरण पर शासन ने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया (मार्च 2014)। यद्यपि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी से मार्च 2013) के दौरान नामित विभागीय अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त तथ्यों की पुष्टि की गयी।

5.11.3 महाकुम्भ मेले के दौरान वर्षा से अवरोध

सेक्टर–9 में जलभराव दिनांक 17.02.2013

15 फरवरी 2013 को महाकुम्भ मेला क्षेत्र वर्षा से अस्त–व्यस्त हो गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान देखा गया कि अस्थायी मार्ग व्यवस्था क्षतिग्रस्त थी एवं मेला क्षेत्र का एक बड़ा भू–भाग जलप्लावित था। वर्षा का जल कल्पवासियों के शिविरों में प्रवेश कर गया था। साक्षात्कार में कल्पवासियों ने बताया (15 से 17 फरवरी 2013) कि शौचालय जाम हो गये थे तथा मल–मूत्र आदि बहने के कारण सफाई व्यवस्था पंगु हो गयी थी। देश के इस भाग में जनवरी एवं फरवरी माह के दौरान वर्षा असामान्य नहीं थी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भाग के मैदानों में वर्षा होना सामान्य घटना है। मेला प्राधिकारियों द्वारा वर्षा की स्थिति में उपयुक्त योजना बनायी जानी चाहिए थी परन्तु वर्षा के पश्चात मूलभूत अवसंरचना एवं सुविधाओं/सेवाओं की स्थिति यह इंगित करती है कि मेला प्रशासन द्वारा ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने हेतु पर्याप्त तैयारी नहीं की गयी थी।

शासन द्वारा उत्तर नहीं दिया गया (मार्च 2014)। यद्यपि, मेलाधिकारी ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (जून 2013) कि स्थिति को सम्भालने के प्रयास किये गये थे। यह भी कहा गया कि आगे के मेलों में और अधिक प्रयास किया जायेगा।

5.12 संस्तुतियाँ

- *सुरक्षा तथा भगदड़, अग्निकांड, पानी में डूबने आदि से बचाव के लिये पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित की जानी चाहिए;*
- *रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, पार्किंग स्थलों पर मेला क्षेत्र में/से आने/जाने वाली भीड़ की संख्या का अनुमान लगाने तथा मेला प्राधिकारियों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, पार्किंग स्थलों, राजकीय रेलवे पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल, स्थानीय पुलिस एवं चिकित्सालयों आदि को अनवरत सजीव वीडियो चित्र भेजे जाने का तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए;*
- *संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने हेतु संचारी/संक्रामक रोगों से पीड़ित लोगों को मेला क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना चाहिए। मेला क्षेत्र में स्थापित अस्थायी चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों, उपकरणों, विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए;*
- *उपभोक्ता संरक्षण एवं विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में स्थापित गोदामों, उचित दर की सरकारी दुकानों तथा अन्य दुकानों का सामान्य रूप से नियमित एवं औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए; और*
- *मेले के दौरान वैधानिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को आवश्यक रसायनों, मोबाइल वैन, प्रचार सामग्री तथा मानव–शक्ति की समय से उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।*